



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./आशा/2016/ 12649  
प्रति,

भोपाल, दिनांक...23/12/2016

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त जिले म.प्र.

विषय:- "जन स्वास्थ्य निगरानी" प्रपत्र का रजिस्टर मुद्रण कराये जाने के संबंध में।


विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2015-16 में सामुदायिक निगरानी कार्यक्रम को मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में लागू कर दिया गया था। इसी तारतम्य में तदर्थ समितियाँ अपने-अपने ग्राम की स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी, गुणवत्ता, स्वच्छता, पोषण आदि के संबंध में प्रत्येक माह प्रत्येक ग्राम में तदर्थ समिति/VHSNC की मासिक बैठक में नियमित एजेण्डा के तहत निर्धारित "जन स्वास्थ्य निगरानी" प्रपत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करेंगी। इस वर्ष 2016-17 की कार्ययोजना में आपके जिले को तदर्थ समितियों की संख्या + 12-15 प्रतिशत अतिरिक्त के हिसाब से प्रति समिति 40/-की दर से भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य एफ एम आर कोड क. बी 15.1.3.3 में आवंटित कर दी गई है। (संलग्न)

मुद्रण संबंधी आवश्यक निम्नांकित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. प्रपत्रों को हार्ड बाईण्ड रजिस्टर में बनाया जाना है।
2. प्रत्येक हार्ड बाईण्ड रजिस्टर का कव्हर पेज होगा। कव्हर पेज पर अपने-अपने जिले का नाम लिखें।(संलग्न)
3. पेज क्रमांक "परिचय" पेज क 01 एवं "मार्गदर्शिका" पेज क 02 आगे पीछे मुद्रित होंगे। (संलग्न)
4. पेज क्रमांक 3-4 जिसमें की "जन स्वास्थ्य निगरानी" प्रपत्र है आगे पीछे टाईप होंगे (संलग्न), जन स्वास्थ्य निगरानी प्रपत्रों की संख्या 48 होगी अर्थात् यह प्रपत्र 04 वर्ष (12months x 04year=48 pages) के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।
5. पेज क. 3-4 अर्थात् "प्रपत्र" का पेज क. बढ़ते क्रम में मुद्रित होगा जैसे:-5-6, 7-8,.....47-48.
6. प्रत्येक रजिस्टर में एक कव्हर पेज के अतिरिक्त, "परिचय" पेज+मार्गदर्शिका (आगे पीछे मिलाकर-1पेज)+ 48 पेज प्रपत्र के, इस प्रकार "कुल 49" पेज आगे पीछे मुद्रित होंगे।
7. मुद्रण ब्लेक एंड व्हाइट होकर 60 से 80 जी एस एम पेपर पर किया जाना है।
8. पेज का साईज ए-4 होगा।
9. प्रत्येक जिले को व्ही एच एस एन सी की संख्या + 12-15 प्रतिशत अतिरिक्त के हिसाब से प्रति समिति प्रति रजिस्टर 40/-की दर से जिलों को आवंटित की गई है।
10. मुद्रण पश्चात समस्त समितियों को रजिस्टर वितरित करायें। अतिरिक्त बचे रजिस्टर्स को संभालकर जिम्मेदारी से संरक्षित कर रखें, ताकि निकट भविष्य में नई समितियों के गठन किये जाने पर उपयोग किये जा सकें।
11. मुद्रण के लिये मुद्रण संबंधी समस्त शासकीय नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
12. किसी भी संशय/सहयोग के लिये 8989988701 या 0755-4020142 पर राज्य कार्यालय से संपर्क करें।
13. मुद्रण कार्य 20 जनवरी तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें ताकि फरवरी में इनका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. कव्हर पेज, परिचय पेज क.-1, मार्गदर्शिका पेज क.-2 एवं प्रपत्र की कापी संलग्न हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी सुलभ संदर्भ हेतु भेजी जा रही है।
15. फाईनल प्रिंटिंग से पूर्व भेजे गये संलग्नक के साथ प्रूफ रिडिंग अवश्य कर लें ताकि कोई त्रुटि न हो।
16. मुद्रण संबंधी व्यय की बुकिंग एफ एम आर कोड क. बी15.1.3.3 में करें।

संलग्न:-1) भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य की सूची।

2) प्रिंटिंग कराये जाने के लिये कव्हर पेज, परिचय पेज, मार्गदर्शिका, "प्रपत्र" की छायाप्रति।

  
(डॉ.बी.एन.चौहान)

संचालक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.


पृक / एनएचएम / आशा / 2016 / 12650

1/2/1

भोपाल दिनांक 23/12/16

प्रतिलिपि :-

- 1) मिशन संचालक, एनएचएम मप्र।
- 2) संचालक वित्त एनएचएम मप्र।
- 3) डॉ रजनी वैद, सलाहकार एनएचएसआरसी नई दिल्ली।
- 4) श्री दमन आहूजा, कार्यक्रम अधिकारी, एजीसीए सेक्रेटेरियेट नई दिल्ली।
- 5) राज्य एमजीसीए सदस्य-----।
- 6) डीसीएम / डीपीएम समस्त जिले मप्र।

  
संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मप्र